

प्रपत्र-1 (आवेदन पत्र)

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि उपकरण/यंत्र/ट्रेक्टर/कुआ निर्माण/पम्प प्रतिष्ठान/नलकूप खनन/शोलो-ट्यूबवेल हेतु आवेदन पत्र
(जिस कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे छोड़कर शेष को काट दें)

पंजीयन क्रमांक

आवेदक का स्वसत्यापित या सरपंच द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो
--

(जिला कार्यालय हेतु)

प्रति,

उपसंचालक कृषि,

जिला

कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करता हूं। विवरण निम्नानुसार है :-

1. मैं (नाम कृषक) पिता/पति श्री
जाति ग्राम प.ह.न. वि.खं.
जिला छत्तीसगढ़ का निवासी कृषक हूं।

2. मेरी भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऋण पुस्तिका क्र.	खसरा नं.	रकबा (हे.)	कूप/नलकूप/शोलो ट्यूबवेल/ स्पिंकलर/ड्रिप हेतु प्रस्तावित स्थल	
				खसरा नं.	रकबा
योग :-					

3. मेरी भूमि संबंधी नवीनतम दस्तावेज (6 माह से अधिक पुराना नहीं) नक्शा/बी-1/खसरा पांचसाला की नकल की 2 प्रति संलग्न है।

4. मैं निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उनके समुख दशायि अनुसार प्रयोजन हेतु अनुदान प्राप्त करना चाहता हूं :-

क्र.	योजना का नाम	प्रयोजन	प्राथमिकता क्रम

5. मैं उक्त प्रयोजन हेतु सम्मुख दर्शित बैंक शाखा से ऋण लेना चाहता हूं।

अथवा

स्ववित्तीय साधन से क्रय हेतु सक्षम हूं।

6. मेरे पास किसान क्रेडिट कार्ड है /नहीं है।

कार्ड का विवरण :

बैंक का नाम

शाखा

बैंक

कार्ड क्रमांक

साख सीमा

7. उल्लेखित प्रयोजन हेतु सम्मुख दर्शित मेसर्स
निजी पंजीकृत ठेकेदार/विक्रेता/प्रदायक
से क्रय/खनन कराना चाहता हूँ। पता

8. वांछित प्रयोजन हेतु कोटेशन/प्रोफार्मा बिल क्रमांक दिनांक राशि रूपये
संलग्न है/नहीं है।

9. खनन/सामग्री क्रय पश्चात् योजना में प्रावधानित अनुदान राशि अपने स्वयं के खाते में भुगतान कराना चाहता हूँ। खाते का विवरण,

अथवा

खनन सामग्री क्रय पश्चात् अनुदान की राशि खननकर्ता एजेंसी/प्रदायक निजी विक्रेता/संस्था को भुगतान को भुगतान किया जावे/संबंधित को भुगतान हेतु अपना सहमति देता हूँ।

10. मैंने उक्त प्रयोजन हेतु किसी योजना से अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

11. मैं प्रथम बार उक्त प्रयोजन हेतु अनुदान का लाभ लेना चाहता हूँ।

12. मैं कृषि विभाग से अनुदान योजना के तहत प्राप्त उक्त पंप/यंत्र/उपकरण/सहायक सामग्री आदि को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यंत्र प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय नहीं करूंगा, न ही हस्तगत करूंगा।

13. प्रस्तावित नलकूप/कुआ स्थल से चारो ओर मीटर की दूरी पर अन्य नलकूप/कुआ स्थित नहीं है।

14. नलकूप खनन/कुआ/शेलोड्यूबवेल के प्रकरण के संबंध में विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

15. उक्त कथन/कंडिका का कोई भी बिन्दु गलत पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावे।

16. मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित कंडिका 1 से 14 तक की जानकारी सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा उक्त वर्णित कोई भी कंडिका/कथन गलत पाये जाने/उल्लंघन होने पर प्राप्त अनुदान की राशि मैं व्याज सहित शासन को वापस करूंगा। यदि धन राशि वापस नहीं की गई तो संपूर्ण अनुदान राशि मय व्याज के भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली की जा सकेगी।
कृषक के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम

दिनांक :

ग्राम

गवाह - 1.

2.

प्रपत्र-2

ग्राम पंचायत की अनुशंसा

मैं (कृषक) श्री पिता/पति जाति
ग्राम को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि कृषक सही है। मैं कृषक
को उसकी मांग के अनुसार प्रदाय करने की अनुशंसा करता हूँ।

सरपंच के हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र-4

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की अनुशंसा

कृषक श्री पिता/पति
द्वारा आवेदित सामग्री हेतु प्राप्त आवेदन से सहमत हूँ एवं कृषक के मांग अनुसार सामग्री प्रदाय करने हेतु अनुशंसा करता हूँ। यह भी
प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक कृषक को आवेदित प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी
क्षेत्र वि.ख.
जिला

प्रपत्र-5

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कृषक श्री
पिता/पति श्री ग्राम वि.ख.
जिला को योजना के तहत
पूर्ण जांच कर ली गई है एवं समस्त विवरण सही पाये गये हैं। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक कृषक को आवेदित प्रयोजन हेतु पूर्व में
किसी अन्य योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है।
विकास खण्ड का पंजीयन क्रमांक
दिनांक

हस्ताक्षर

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी
वि.ख.

प्रपत्र-8

जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति का अनुमोदन

कृषक श्री पिता/पति श्री
जाति ग्राम वि.ख. जिला (छ.ग.) को
..... प्रदाय हेतु अनुमोदित किया जाता है जो जनपद पंचायत की पंजी क्रमांक
..... के पृष्ठ क्रमांक दिनांक में अनुक्रमांक पर इंद्राज किया गया है।
कृषक को उनके मांग अनुसार प्रदाय करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी

वि.ख.

प्रपत्र-9

जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति का अनुमोदन

कृषक श्री पिता/पति श्री
जाति ग्राम वि.ख. जिला (छ.ग.) को
..... प्रदाय हेतु अनुमोदित किया जाता है जो जिला पंचायत की पंजी क्रमांक
..... के पृष्ठ क्रमांक दिनांक में अनुक्रमांक पर इंद्राज किया गया है।
कृषक को उनके मांग अनुसार प्रदाय करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी

वि.ख.

प्रपत्र-10

समक्ष पब्लिक नोटरी छ.ग.

शपथ पत्र

में पिता/पति
जाति ग्राम प.ह.नं. विकास खंड
तहसील जिला छ.ग. का निवासी हूं। पेशा कृषि कार्य का है। शपथपूर्वक
निम्नांकित कथन पेश करता हूं :-

1. यह कि मैं काश्तकार हूं तथा मेरी कृषि भूमि रकबा हे. ग्राम पं.ह.न.
विकास खण्ड तहसील जिला छ.ग. में स्थित है।
2. यह कि मैंने कृषि विकास के उद्देश्य से कृषि विभाग की
के तहत प्रतिस्थापित/क्रय करने का विचार किया है।
3. यह कि मैं उक्त प्रयोजन हेतु कृषि विभाग से शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुदान प्रकरण का आवेदन प्रस्तुत किया हूं।
4. यह कि मैं शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा पर जो भी अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त होता है
तो मैं को अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास विक्रय नहीं करूंगा। यदि मैं इसका
उल्लंघन करता हूं तो शासन को नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करूंगा।
5. यह कि यदि धन राशि वापस नहीं की गई तो संपूर्ण अनुदान मय ब्याज के भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूं कि शपथ की कंडिका 1 से 5 तक में
वर्णित सभी बातें सत्य व सही हैं। अतः आज दिनांक को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

गवाह :-

1.
2.

नाम

संतुष्टि प्रमाण पत्र

मैंपिता/पति

ग्राम विकास खंड तहसील

जिला छ.ग. यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कृषि विभाग के योजनांतर्गत अनुदान पर निजी विक्रेता
/संस्थासे बैंक ऋण/नगद पर स्वेच्छानुसार क्रय किया है,
जिसकी गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अतः यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कृपया अनुदान की राशि संबंधित विक्रेता/संस्था को भुगतान करने
की कृपा करें।

हस्ताक्षर

कृषक का नाम

पूर्ण पता

.....

